बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश सं0 :– 11/ मु0 – 06–24/2015..दिनांक.........................

आदेश

ओम श्री कंस्ट्रक्शन, प्रो0– श्रीमती अनामिका कुमारी, ग्राम – सोकहारा, पो0– बरौनी, जिला – बेगूसराय द्वारा कार्यपालक अभियंता, लधु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/15–16 (ग्रुप सं0 – 04) के आलोक में निविदा दिया गया था । इस निविदा के साथ उनके द्वारा कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमंडल, मधुबनी के पत्रांक 731 दिनांक 23.09.13 द्वारा निर्गत कार्य अनुभव एवं भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था, जिस पर ओम श्री कंस्ट्रक्शन के प्रोपराईटर अनामिका कुमारी का हस्ताक्षर है। साथ ही श्रीमति अनामिका कुमारी द्वारा संलग्न Legal status of bidder में मोबाइल नं0 9431046719 दिया गया था। समर्पित अभिलेखों की जॉच के क्रम में पाया गया कि नलकूप प्रमंडल दरभंगा के एन.आई.टी.सं. – 01/2014–15 के आलोक में ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन द्वारा दिये गये निविदा में कार्यपालक अभियंता मधुबनी के पत्रांक 731 दिनांक 23.09.13 द्वारा ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन सूरो (ओझा टोल) बछवाड़ा, बेगुसराय को निर्गत कार्यनुभव प्रमाणपत्र पर संलग्न किया गया था है और उसपर ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन सूरो (ओझा टोल) बछवाड़ा, बेगुसराय के पार्टनर विकास कुमार झा का हस्ताक्षर है, उस निविदा प्रोफाईल में श्री झा द्वारा मो0 नं0 9431046719 अंकित किया गया था । दोनो निविदा के साथ संलग्न कार्यानुभव प्रमाण पत्र में कार्य की एकरारनामा सं0 कार्य की मात्रा इत्यादि समान है। इसके आलोक मे मुख्य अभियंता, लधु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1442 दिनांक 06.08.15 तथा पत्रांक 429 दिनांक 02.03.16 एवं अधीक्षण अभियंता, लधु जल संसाधन विभाग पटना के पत्रांक 1853 दिनांक 16.11.15 द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

लधु जल संसाधन विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक ओम श्री कंस्ट्रक्शन, प्रो0 श्रीमति अनामिका कुमारी से विभागीय पत्रांक 2233 दिनांक 18.04.16 द्वारा कारण पृच्छा किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में दिनांक 09.05.16 को संवेदक द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में कहा गया है कि उनके नवनियुक्त कर्मचारी द्वारा उनके फर्म के सदृश्य नाम के अनुभव प्रमाणपत्र को गलती से निविदा में संलग्न कर दिया गया है। ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन प्रो0 विकास कुमार झा के निविदा प्रोफाईल में अंकित मो0 नं0 9431046719 अपने लीगल स्टेटस ऑफ बीडर में डाले जाने के संबंध में कहा गया है कि वर्त्तमान में यह मो0 नं0 उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

संवेदक श्रीमती अनामिका कुमारी से प्राप्त कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन के पार्टनर विकास कुमार झा का मोबाईल नं0 9431046719 ओम श्री कंस्ट्रक्शन के प्रोपराईटर श्रीमति अनामिका कुमारी द्वारा उपयोग किया जा रहा है। वैसी स्थिति में ऊँ श्री कंस्ट्रक्शन के नाम से निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र सदृश्य नाम के आधार पर सोच समझकर ओम श्री कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर श्रीमती अनामिका कुमारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, लधु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा आमंत्रित निविदा में संलग्न कर निविदा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

संवेदक का यह कृत्य बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम – 11 (क) (vii) में वर्णित कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः संवेदक के कृत को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम – 11 (ख) (vii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित मानते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 201 दिनांक 14.03.16 के आलोक में संवेदक ओम श्री कंस्ट्रक्शन, प्रो0 श्रीमती अनामिका कुमारी, ग्राम– सोकहारा, पो0 – बरौनी, जिला – बेगूसराय एवं उनके निबंधन सं0 – 53/2015 (द्वितीय श्रेणी) को दस वर्षो के लिए काली सूची में डाला जाता है।

ह0/–

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

कृ0पृ0उ0

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक........................ दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– ओम श्री कंस्ट्रक्शन, प्रो0– अनामिका कुमारी, ग्राम– सोकहारा, पो0 – बरौनी, जिला – बेगूसराय पिन – 851112 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक.........3292......... दिनांक.........17.6.2016

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लधु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजन एवं मो0 अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो0 अंचल 2 एवं 3 पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ आई.टी.मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

16/06/16

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन